

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैतूल, जिला—बैतूल (म.प्र.)

(समक्ष—विजयश्री राठौर)

व्य.वाद प्र. क्रमांक 282'ए' / 2017
संस्थापन दिनांक :-21.12.2017

1. मनोज वल्द—श्री मदनलाल रावत,
निवासी—लोहिया वार्ड गंज बैतूल
तहसील—बैतूल व जिला—बैतूल, मध्यप्रदेश,
2. प्रदीप वल्द—श्री नारायण मालवीय,
निवासी—जयप्रकाश वार्ड गंज कालोनी गंज बैतूल,
3. प्रशांत वल्द—श्री राजू प्रधान,
निवासी—खंजनपुर बैतूल, तहसील व जिला—बैतूल,
4. जगदीश वल्द—श्री धुडल्या मासोदकर,
निवासी—ग्रीनसिटी विवेकानंद वार्ड बैतूल,
5. रजनी पति—श्री राजा पांडे,
निवासी—जवाहर वार्ड गंज बैतूल,
6. रमेश वल्द—श्री हल्के मालवी,
निवासी—शंकर वार्ड गंज बैतूल,

—वादीगण / आवेदकगण

विरुद्ध

1. नगरपालिका परिषद—बैतूल,
द्वारा—मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैतूल,

—प्रतिवादी / अनावेदक

| | |
|---------------------|------------------------------|
| वादी द्वारा | : श्री गुफरान खान अधिवक्ता। |
| प्रतिवादी क्रमांक 1 | : श्री राकेश बर्डे अधिवक्ता। |

॥ आदेश ॥

(आज दिनांक : 04 अप्रैल, 2018 को पारित किया गया)

1— इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नं. 1 का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदन संक्षिप्त: इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा नगरपालिका परिषद बैतूल से गंज मंडी परिषद में नव निर्मित 6 दुकाने नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर प्राप्त की गई है, जिसका मासिक किराया भी नियमितरूप से वादीगण नगरपालिका परिषद बैतूल को अदा कर रहे हैं। उक्त वादग्रस्त दुकाने पर पीछले 9-10 वर्षों से वादीगण शांतिपूर्णरूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी उक्त नव निर्मित सीमेंट कॉक्रीट की दुकानों को तोड़ने हेतु तत्पर है, जबकि गंज मंडल प्रांगण में कई अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि पर अवैधरूप से दुकाने संचालित की जा रही है, उन्हें ना हटाते हुये विधिक पट्टाधारियों को हटाने का प्रयास अवैधरूप से किया जा रहा है। वादीगण उक्त वादग्रस्त दुकानों पर स्वयं का व्यवसाय संचालित कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं तथा उनके पास अन्य कोई दुकाने भी नहीं है। प्रतिवादी द्वारा विवादित दुकानों को बलातरूप से खाली कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त दुकान खाली करवाने में विधिक प्रक्रिया को नजर-अंदाज किया कर अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। यदि विहित प्रक्रिया को अपनाये बिना विवादित दुकाने बलातरूप से खाली कराकर तोड़ी गई तो वादीगण को अपूर्ण्यक्षति कारित होगी। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से वादग्रस्त दुकान को खाली करने एवं तोड़ने की कार्यावाही ना करने संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

3— प्रतिवादी द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि नगपालिका बैतूल द्वारा बैतूल गंज मंडी स्थित भूमि पर बहुउद्देशीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। योजना में उपयोग की जाने वाली भूमि नगरपालिका परिषद बैतूल के आधिपत्य में है। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व प्रतिवादी द्वारा समस्त आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वादग्रस्त दुकानों के संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। नगपालिका क्षेत्र में योजना अंतर्गत निर्माण कार्य करने के स्टेच्यूटरी अधिकार प्रतिवादी को है। प्रत्यक्षतः प्रतिवादी के लिये इंगित विधि के या क्रियाव्यन के प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने की स्थिति में नगरपालिका परिषद को अपूर्ण्य एवं अपरिसीमित क्षति होगी। अतः आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय

द्वारा प्रमुखतः निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :—

- अ) क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ?
- ब) क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?
- स) क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?

~सकारण निष्कर्ष~

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1

5— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य को लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

6— वादी द्वारा अपने समर्थन में दुकान नंबर 4 की प्रीमियम राशि जमा करने का आवेदन पत्र, दुकानों का नक्शा, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 25.03.2010, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 31.03.2011, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.02.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 05.04.2012, दुकान नंबर 5 की 25 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने का आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 05.05.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 06.09.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.02.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.03.2009, दुकान क्रमांक-1 की अवशेष राशि जमा कराने संबंध में आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 10.11.09, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.07.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 31.03.2011, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 19.06.2017, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.03.2012, नगपालिका परिषद बैतूल का सर्विस टैक्स का आरोपण किये जाने संबंध में आवेदन, नगपालिका परिषद बैतूल उच्चतम प्रस्ताव की अवशेष राशि जमा कर दुकान का आधिपत्य ग्रहण करने संबंध में आवेदन, नगर पालिका परिषद उच्चतम प्रस्ताव दर की 40 प्रतिशत राशि जमा कराने संबंध में आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 08.05.2012, नगरपालिका परिषद बैतूल सब्जी मंडी की ओक्सन दुकान क्रमांक-2 में लेने हेतु आवेदन पत्र, प्रशांत का पहचान पत्र, आयकर विभाग का प्रमाण पत्र, नगपालिका

परिषद की विविध रसीद दिनांक 18.05.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 23.10.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 25.03.2017, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 08.05.2017, दुकान क्रमांक-6 की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने जाने संबंध में आवेदन, नगरपालिका अधिनियम का बिल, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 09.05.2015, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 03.04.2017, नगपालिका परिषद की विविध रसीद, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 18.07.11, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.02.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 29.03.2010, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 13.01.2011, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 13.07.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 16.11.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.04.2012, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 25.03.2010, मंडी शॉपिंग काम्पलेक्स में दुकान अवंटन का आवेदन, नीलामी में क्रय की गई नगरपालिका से दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही रोकने का आवेदन, दुकान क्रमांक-3 की प्रिमियम राशि जमा करने का आवेदन, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 02.03.2009, नगपालिका परिषद की विविध रसीद दिनांक 28.07.2009, प्रदीप मालवीय को जनसुनवाई का कलेक्टर को दिया गया आवेदन, वादग्रस्त दुकानों की 4 फोटो एवं फोटो का बिल मनोज रावत एवं ब्रजगापाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। एवं प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में नजूल मेन्टोनेन्स खसरा दिनांक 11.08.2014 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

7— वादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण द्वारा नगरपालिका परिषद बैतूल से गंज मंडी परिषर में नव निर्मित वादग्रस्त 6 दुकाने नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर प्राप्त की गई है, जिसका मासिक किराया भी नियमितरूप से वादीगण नगरपालिका परिषद, बैतूल को अदा कर रहे हैं। उक्त वादग्रस्त दुकाने पर पीछले 9-10 वर्षों से वादीगण शांतिपूर्णरूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यालय नगर परिषद बैतूल द्वारा प्रिमियम राशि जमा करने हेतु वादीगण को दिये गये सूचना पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि जगदीश को मंडी परिसर शॉपिंग काम्पलेक्स में वादग्रस्त दुकान क्रमांक-1, प्रशांत को दुकान क्रमांक-2, रमेश को दुकान क्रमांक-3, मनोज रावत को दुकान क्रमांक-4 एवं रजनी पांडे को दुकान क्रमांक-5 नीलामी के शर्तों के अधीन उच्चतम बोली लगाने पर आवंटित की गई थी तथा वादीगण द्वारा प्रिमियम राशि अदा करने विवादित दुकानों का आधिपत्य गृहण करने हेतु सूचित किया गया था। कार्यालय नगरपालिका परिषद बैतूल की विविध रसीद के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा नीलामी में आवंटित दुकान की प्रिमियम राशि प्रतिवादी नगरपालिका परिषद बैतूल को अदा की गई थी। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह प्रथमदृष्ट्या

दर्शित है कि वादीगण को उपरोक्त दुकाने आवंटित की गई थी, जिनके संबंध में प्रिमियम राशि अदा करने वह उक्त दुकानों के वैध आधिपत्य में है।

8— वादीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी उक्त नव निर्मित सीमेंट कॉक्रीट की दुकानों को तोड़ने हेतु तत्पर है, जबकि गंज मंडल प्रांगण में कई अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि पर अवैधरूप से दुकाने संचालित की जा रही हैं, उन्हें ना हटाते हुये विधिक पट्टाधारियों को हटाने का प्रयास अवैधरूप से किया जा रहा है। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नगपालिका बैतूल द्वारा बैतूल गंज मंडी स्थित भूमि पर बहुउद्देशीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। योजना में उपयोग की जाने वाली भूमि नगरपालिका परिषद बैतूल के आधिपत्य में है। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व प्रतिवादी द्वारा समस्त आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वादग्रस्त दुकानों के संबंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। नगपालिका क्षेत्र में योजना अंतर्गत निर्माण कार्य करने के स्टैच्यूटरी अधिकार प्रतिवादी को है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत मनोज रावत एवं ब्रजगोपाल के शपथ पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण की वादग्रस्त दुकानों को तोड़ने तत्कालिक संभावना है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कलेक्टर बैतूल को नीलामी में क्रय की गई वादग्रस्त दुकानों के संबंध में दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही रोकने बाबत आवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को आवंटित नव निर्मित वादग्रस्त दुकाने अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने/खाली कराने के संबंध में राके जाने हेतु शिकायत की गई थी, जिससे यह प्रथमदृष्ट्या दर्शित होता है कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वैध आधिपत्य में अनाधिकृत एवं अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस संबंध में वादीगण द्वारा कार्यालय कलेक्टर द्वारा बैतूल में प्रस्तुत जनसुनवाई आवेदन भी पेश किया जाना दर्शित है।

9— वादीगण का वादग्रस्त दुकानों पर प्रथमदृष्ट्या वैध आधिपत्य होना दर्शित है तथा यह भी प्रथमदृष्ट्या दर्शित है कि प्रतिवादी वादीगण के उक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है। ऐसी दशा में वादीगण के आधिपत्य को संरक्षित किया जाना प्रथमदृष्ट्या आवश्यक प्रतीत होता है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2

10— अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य है कि ऐसी क्षति जो अवैध कृत का परिणाम हो तथा जिसे धन से नहीं तौल जा सकता हो। वादीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वादग्रस्त दुकानों पर वह व्यवसाय संचालित कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं तथा उनके पास अन्य कोई दुकाने भी नहीं हैं। वादीगण का

भरण—पोषण उक्त विवादित दुकानों पर आधारित होना प्रथमदृष्ट्या परिलक्षित है तथा यदि उनके आधिपत्य को संरक्षित नहीं किया गया तो बेरोजगार होकर उन्हें अपूर्णयक्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3

11— निषेधाज्ञा देने या ना देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी यह देखना होता है, जिसे सुविधा का संतुलन कहते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्रतिवादी का होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित है, ऐसी स्थिति में यदि निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो प्रतिवादी के अपेक्षा वादीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है।

12— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद, अपूर्णयक्षति व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नंबर-1 स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:—

1. वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश दिनांक से छः माह के लिये इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि प्रतिवादी वादग्रस्त दुकानों में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अवैधरूप से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
2. इस आदेश का वाद के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण पर किया जावेगा।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(विजयश्री राठौर)

प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-2,

बैतूल, मध्यप्रदेश

दिनांक— 4 अप्रैल, 2018

स्थान—बैतूल